सरकारी गतिविधियों संबंधी अनुच्छेद 444/2 ग्राम पंचायत सरकार द्वारा प्रकाशित
असाधारण

विधायी परिषद्
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनिर्देश आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 11 मई, 2020
बैशाख 21, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुमान-2
संख्या 444 / ग्राम-2-9(47)-17-उपरोधित-1-2017-आदेश(117)-2020
लखनऊ, 11 मई, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना संख्या कार्यनि-2-983 / ग्राम-9(47)-17-उपरोधित-1-2017-आदेश(42)-2019, दिनांक 2 जुलाई, 2019 में अप्रत्यारंभित निम्नलिखित संशोधन करती है, अथवा —

संशोधन

उत्तर प्रदेश में —

(i) दूसरे प्रस्तार में निम्नलिखित प्रस्तुत बदल दिया जायेगा, अथवा —

"परंतु उक्त व्यक्ति, 31 मार्च, 2020 को समाज होने वाली तिथियों के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन प्रक्रिया जीआईटी दीएमपी-08 में विवरण, जिसमें स्थिरापतित कर के संदर्भ का बदला होगा, 7 जुलाई, 2020 तक प्रस्तुत करेंगे।"

(ii) तृतीय प्रस्तार में निम्नलिखित प्रस्तुत बदल दिया जायेगा, अथवा —

"परंतु उक्त व्यक्ति, 31 मार्च, 2020 को समाज होने वाले वित्तीय वर्ष की विवरणी, उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्रक्रिया जीआईटीआर-4 में 15 जुलाई, 2020 तक प्रस्तुत करेंगे।"

आशा से,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।
In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 444/XI-2-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(117)-2020, dated May 11, 2020:


Dated Lucknow, May 11, 2020

In exercise of the powers conferred by section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-983/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order(42)-2019, dated July 2, 2019, namely:

AMENDMENT

In the said notification,—

(i) in the second paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the said persons shall furnish a statement, containing the details of payment of self-assessed tax in FORM GST CMP-08 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, for the quarter ending 31st March, 2020, till the 7th day of July, 2020;"

(ii) in the third paragraph, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that the said persons shall furnish the return in FORM GSTR-4 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, for the financial year ending 31st March, 2020, till the 15th day of July, 2020."

By order,

ALOK SINHA,
Apar Mukhya Sachiv.